



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225031
CG-DL-E-09022021-225031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 536]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

का.आ. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3056(अ), तारीख 2 सितम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं. 2717 – तारीख 9 सितम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील शमशाबाद जिला विदिशा राज्य मध्य प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 03 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

तहसील : शमशाबाद

जिला: विदिशा

राज्य: मध्य प्रदेश

गांव का नाम	खसरा नं./ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विछिया	796	00	03	52
	798	00	21	77
	876/1/1	00	10	78
	876/1/2	00	08	89
	876/1/3	00	08	78
	876/2	00	12	86
	876/3	00	09	78
	874/2	00	15	89
	874/1	00	13	91
	872	00	10	83
	871	00	12	39
धोबी खेड़ा	171	00	31	62
	154	00	23	14
	150	00	16	08
	155	00	05	25
	149	00	16	87
	147	00	04	73
	145	00	07	17
	162	00	01	08
	210	00	07	53
	137	00	11	52
	211	00	22	22
	212	00	06	95
	213	00	05	77
	214	00	13	23
	217	00	23	76

	124	00	08	76
	123	00	06	73
	122	00	12	36
	121	00	26	06
	120	00	04	38
	116	00	18	41
	118	00	00	73
गोरिया खेडा	28	00	07	02
	27	00	13	06
	34/1	00	08	93
	34/3	00	05	03
	34/2/1	00	00	48
	55/2	00	21	60
	56/2	00	11	90
	66	00	21	39
	67/2	00	16	43
	81	00	01	32
	79	00	33	52
	83/2	00	08	62
	89/2	00	00	42
	89/1	00	06	21
	90/2	00	05	53
	90/1	00	06	54
	91	00	12	03
	96/4	00	02	95
	96/3	00	08	72
	96/1	00	04	39
	96/2	00	08	48
	97	00	05	56
	103/1/2 k	00	01	64
	103/2	00	39	58
	103/1/1 K	00	00	04

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-I/E-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2021

S.O. 588(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 3056 (E) Dated 2 September 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 2717 dated 9 September 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline Crude Oil in tehsil Shamshabad District Vidisha In the state of Madhya Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 03 November 2020 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL: SHAMSHABAD****DISTRICT: VIDISHA****STATE: MADHYA PRADESH**

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BICHHIYA	796	00	03	52
	798	00	21	77
	876/1/1	00	10	78
	876/1/2	00	08	89
	876/1/3	00	08	78
	876/2	00	12	86
	876/3	00	09	78
	874/2	00	15	89
	874/1	00	13	91
	872	00	10	83
	871	00	12	39
DHOBI KHEDA	171	00	31	62
	154	00	23	14
	150	00	16	08
	155	00	05	25
	149	00	16	87
	147	00	04	73
	145	00	07	17

	162	00	01	08
	210	00	07	53
	137	00	11	52
	211	00	22	22
	212	00	06	95
	213	00	05	77
	214	00	13	23
	217	00	23	76
	124	00	08	76
	123	00	06	73
	122	00	12	36
	121	00	26	06
	120	00	04	38
	116	00	18	41
	118	00	00	73
GORIYA KHEDA	28	00	07	02
	27	00	13	06
	34/1	00	08	93
	34/3	00	05	03
	34/2/1	00	00	48
	55/2	00	21	60
	56/2	00	11	90
	66	00	21	39
	67/2	00	16	43
	81	00	01	32
	79	00	33	52
	83/2	00	08	62
	89/2	00	00	42
	89/1	00	06	21
	90/2	00	05	53
	90/1	00	06	54
	91	00	12	03
	96/4	00	02	95
	96/3	00	08	72
	96/1	00	04	39
	96/2	00	08	48
	97	00	05	56
	103/1/2 k	00	01	64
	103/2	00	39	58
	103/1/1 K	00	00	04

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.